Witness .....PW. 4..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

the.....14th .....day of.....May 2018 .....Witness's apparent age...26

Sates on affirmation ..... My name is. रूपेश रंगारी

S/o, W/o .....स्व0 राजेन्द्र रंगारी .....occupation.....प्रायवेट जॉब .... address.....छोटा अशोक नगर गुढियारी, रायपुर जिला–रायपुर छ0ग0।

---

1. मैं आरोपीगण को जानता हूं। आरोपी प्रेम सोनवानी को पुरू के नाम से जानता हूं। मनोज मेश्राम मेरे मोहल्ले का रहना वाला है। घटना अक्टूबर 2017 की है। घटना दिनांक को रात्रि करीब 9 बजे के लगभग मैं स्टेशन से घर आ रहा था उस समय मैंने देखा कि मोहल्ले के इंट्रेस में ही पान ठेला है वहीं पर मनोज के साथ आरोपी नरेन्द्र एवं अन्य अदालत उपस्थित आरोपीगण गाली गलौच कर रहे थे। शुभम वहां पर आया और बोला कि यहां गाली गलौच मत करो। निखिल रामटेके भी घटना स्थल पर मौजूद था उन्होंने भी गाली गलौच करने से मना किया था। फिर दोनों पक्ष से गाली गलौच होने लगी। आरोपीगण मारपीट में उतर आये बीच बचाव करने के दौरान शुभम का पैर स्लीप करने से शुभम जमीन में गिर गया।

2. आरोपीगण नरेन्द्र, ओमप्रकाश, नरेश बंजारे, चेतन, हाजिर अदालत उसकी वाईफ द्रोपती, पुरू अर्थात प्रेम सोनवानी के हाथ में बत्ता, लकड़ी का खाट का पावा, एक लोहे का रॉड, तवा था। उसके बाद सभी आरोपीगण मनोज को छोड़कर शुभम के पीछे पड़ गये तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। उक्त मारपीट से मैंने देखा शुभम के सिर से खून निकल रहा था। मैंने उसमें से दो लोगों ओमप्रकाश एवं नरेश बंजारे को खींचकर भगाया। बाकी लोग शुभम के सिर से खून निकलता देख भाग गये। शुभम को मैं और हमारे मोहल्ले का धम्मू नामक दोनों उठाये उसे मोहल्ले में लेकर गये। शुभम अचेता अवस्था में आ चुका था। फिर हम लोगों ने शुभम के भाई अंकुश और धम्मू दोनों साथ मिलकर शुभम को अस्पताल लेकर गये। उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी।

3. पुलिस ने मेरे समक्ष शव पंचनामा तैयार नहीं किया था पंचनामा प्र0पी–4 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सैय्यद इकबाल रिजवी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चेतन रात्रे, द्रोपती, ओमप्रकाश</u>

4. यह कहना सही है कि मैं बुध विहार के पास का रहने वाला हूं। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक एवं समय को टिफिन छोड़कर आ रहा था। स्वतः कहा कि मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था। जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो झगड़ा शुरू हो चुका था। यह कहना सही है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि झगड़ा किसके–किसके बीच और कब शुरू हुआ था।

Witness .....PW. 4..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

5. घटना स्थल पर जब मैं पहुंचा उस वक्त लगभग 15–20 लोग वहां इक्कठे थे। मैंने उपस्थित भीड़ में से किसी से भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि झगड़ा किस बात पर हो रहा था। मुझे बाद में पता चला कि झगड़ा मनोज और नरेन्द्र के बीच में था। आज दिनांक तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि झगड़े की वजह क्या थी। यह कहना गलत है कि जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा उस वक्त शुभम गिर चुका था।

6. यह कहना सही है कि हाजिर अदालत आरोपीगणों में से सिर्फ तीन आरोपीगणों चेतन, पुरू एवं नरेन्द्र को मैं नाम से जानता एवं पहचानता था, शेष आरोपीगणों को मोहल्ले के होने की वजह से पहचानता था। यह कहना सही है कि इसी वजह से मैंने बाकी लोगों का नाम नहीं लिखवाया था। यह कहना सही है कि पुलिस के द्वारा मुझसे कोई पहचान कार्यवाही नहीं करायी गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं यह नहीं बता सकता कि किस आरोपी के हाथ में कौन सा हथियार था। घटना के लगभग 8–10 दिनों के बाद पुलिस ने मेरा बयान लिखा था।

7. यह कहना सही है कि मृतक शुभम और मैं एक ही समाज एवं जाति से संबंध रखते हैं। यह कहना सही है कि घटना के बाद से शुभम होश में नहीं आया था। यह कहना सही है कि घटना से पूर्व मृतक एवं आरोपीगणों में कोई वाद–विवाद या झगड़ा नहीं था।

8. मृतक शुभम को अंकुश एवं धम्मू लेकर अस्पताल गये थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश सिंह ठाकुर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त प्रेम सोनवानी</u>

9. यह कहना सही है कि दुर्घटना में मुझे कोई चोंट नहीं आयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने घटना होते हुये नहीं देखा है, इसीलिये मुझे न तो चोट आयी और न ही मैंने कोई बीच बचाव करने की कोशिश की।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मो0 अजीज हुसैन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त नरेन्द्र एवं नरेश बंजारे</u>

10. यह कहना गलत है कि मैंने घटना के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया था। स्वतः कहा कि घटना के पश्चात् मैं और मेरा दोस्त विवेक दोनों घटना की सूचना देने के लिये गुढ़ियारी थाना गये थे जहां हमने मौखिक सूचना दी थी, जिस पर थाने में मौजूद संबंधित अधिकारी ने यह बताया था कि आपके सूचना देने से पूर्व संबंधित पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है तथा उचित कार्यवाही की जा रही है। मैंने आज न्यायालय में बताई हुई लगभग सारी बातें मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को बता दिया था।

11. यह कहना सही है कि हमारे साथ मनोज मेश्राम थाने नहीं गया था। यह कहना गलत है कि घटना स्थल पर अंधेरा रहता है। यह कहना सही है कि घटना के बाद 8–10 दिनों के पूर्व पुलिस ने मेरा बयान

Witness .....PW. 4..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

लेखबद्ध नहीं किया था।

12. मैं घटना दिनांक को रेलवे स्टेशन अपने दोस्त अंशु से मिलने लगभग 8 बजे के आसपास गया था। यह कहना गलत है कि अंशु उक्त दिनांक एवं समय को ट्रेन से रायपुर स्टेशन आ रहा था। मैं स्टेशन से घटना स्थल पर लगभग 9 सवा 9 बजे पहुंचा था। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर घटना के वक्त तकरीबन 15–20 लोगों की भीड़ मौजूद थी। मैं मौजूद भीड़ के हर व्यक्ति को नहीं जानता या पहचानता था। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं। यह कहना गलत है कि मैं मृतक शुभम के परिवार वालों एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के समझाये जाने के अनुसार बयान दे रहा हूं। स्वतः कहा कि जो सच और जो देखा हूं वही कथन कर रहा हूं।

13. यह कहना गलत है कि मृतक शुभम को पैर स्लीप हो जाने के कारण सिर के बल गिरने से सिर में चोट आयी थी। यह कहना गलत है कि आरोपीगणों ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं किया था। मुझे आज याद नहीं है कि मैंने प्र0पी–4 पर हस्ताक्षर कब किया था। प्र0पी–4 पर हस्ताक्षर मैंने थाने में किया था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष प्र0पी–4 की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। मैंने पुलिस को प्र0डी–1 का बयान देते समय यह बात कि ''उसके बाद सभी आरोपीगण मनोज को छोड़कर शुभम के पीछे पड़ गये तथा उसके साथ मारपीट करने लगे।'' पुलिस को बता दिया था, यदि उक्त बातें मेरे पुलिस बयान न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को यह भी बता दिया था कि ''मैंने उसमें से दो लोगों ओमप्रकाश एवं नरेश बंजारे को खींचकर भगाया।'' यदि उक्त बातें मेरे पुलिस बयान प्र0डी–1 में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

(अरविंद कुमार)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

(अरविंद कुमार)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर.....

Witness .....PW. 4..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

प्रमाण पत्र

मै पुष्टि करता हूँ कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतरवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नाम पुरूषोत्तम सिंह वालरे